



राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F1(a)324/Estt/Ins/Nodal Officer/Part-3/00965

दिनांक : 12-02-2025

-:आदेश:-422

इस विभाग के समसंख्यक आदेश 76 दिनांक 24.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए आई.एफ.एम.एस 3.0 पर नई एम्प्लॉई आईडी के अनुमोदन एवं आई.एफ.एम.एस 2.0 पर डाटा अपडेशन हेतु मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को अधिकृत किया जाता है।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(धनलाल शेरवत)
निदेशक

क्रमांक F1(a)324/Estt/Ins/Nodal Officer/Part-3/00965 / 9644-9702 दिनांक : 12-02-2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/परियोजना/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/आरजीएचएस/एमएसएडीबीआई/जिला कार्यालय राजस्थान, को पालनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, राजस्थान, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड, मुख्यालय

(धनलाल शेरवत)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

Document certified by DHAN LAL
SHERAWAT <sherawat@gmail.com>.

Digitally Signed by DHAN
LAL SHERAWAT
Designation: Director
Date :12-02-2025 01:48:34